U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj

ihBklhu vf/kdkjh % Mk0 lfer 'kekZ] vkbZ-,-,l

vkElZ vihy la[;k 03@2020

<u>**vihykUV**</u>	बनाम	<u>**jLiksMsUV**</u>
सुमेरलाल शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा, निवासी– ग्राम सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, बाडमेर।		कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 27.07.2020 द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट बाडमेर ने अपीलाण्ट के पिस्टल/रिवॉल्वर शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत आवेदन को निरस्त कर दिया।

mifLFkfr%&&

1. अपीलान्ट स्वयं एवं उनकी ओर से श्री देवेन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता, उपस्थित।

fu.kZ;

दिनांकः अक्टूबर, 2020

1. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट बाडमेर ने अपीलाण्ट के पिस्टल/रिवॉल्वर का शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के आवेदन को दिनांक 27.07.2020 को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह अपील अन्तर्गत आर्म्स अधिनियम 1959 की धारा 18 के तहत दिनांक 21.08.2020 प्रस्तुत की गई है।

2. अपील पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधिनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट एवं उनकी ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा गई बहस को सुना। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि अपीलान्ट ने एक नया शस्त्र आत्मरक्षार्थ हेतु अनुज्ञा पत्र रिवाल्वर/पिस्टल की प्राप्ति के लिये जिला कलेक्टर बाडमेर कार्यालय के समक्ष दिनांक 19.1.2018 को पेश किया

जिसके संलग्न शारिरीक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हैसियत प्रमाण पत्र, शस्त्र चलाने का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र इत्यादि पेश किये। जिस पर जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा पुलिस अधिक्षक बाडमेर, तहसीलदार पचपदरा, उप वन संरक्षक,बाडमेर व सीआईडी राज0 जयपुर से जॉच करवाई जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें किसी विभाग ने अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का विरोध नहीं किया उसके उपरान्त भी जिला कलेक्टर बाडमेर ने अपीलान्ट के उक्त आवेदन पर कोई निर्णय नहीं किया, तत्पश्चात 18 माह की लम्बी अवधि व्यतित करने के उपरान्त उक्त आवेदन को आदेश दिनांक 20.06.2019 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि अपीलान्ट पर दो मुकदमें दर्ज है। जबकि अपीलार्थी पर दोनों मुकदमें पूर्णतया झूठे व निराधार है जो पुलिस की मिलीभगत से अपीलार्थी को फंसाने की नियत से दर्ज किये गये है तथा अपीलार्थी को किसी भी मामले में दोषी नहीं पाया गया है और न ही किसी अदालत ने दोषी सिद्ध ठहराया था।

3. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट ने जिला कलेक्टर बाडमेर के उक्त आदेश दिनांक 20.6.2019 की आर्म्स अपील संख्या 03/2019 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर तत्तकालीन सम्भागीय आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 16.10.2019 को अपील स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया कि जिला कलेक्टर बाडमेर एक माह के भीतर–भीतर अपीलान्ट की व्यक्तिगत सुनवाई करते हुए प्रार्थी के रिवाल्वर/पिस्टल के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के आवेदन पर स्पीकिंग आदेश पारित कर मामले का निस्तारण करें।

4. जिस पर जिला कलेक्टर बाडमेर में अपीलान्ट की दिनांक 16.6.2020 व्यक्तिगत सुनवाई करते हुए दिनांक 27.7.2020 को अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह पुनः अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

5. अपीलान्ट की ओर से यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने अपने आवेदन में अपीलान्ट की आत्मरक्षार्थ तथा उस पर हुन जानलेवा हमले, जान का खतरा दर्शाते हुए तथा उसके द्वारा अपने को आरटीआई कार्यकर्ता, व्हिसलब्लोसर होने के कारण भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने, कानूनी कार्यवाही करने, समाज हित, राष्ट्रहित व जनहित में सूचनाएं प्राप्त करने की जनहितार्थ कार्य करने के कारण उसके दुश्मन लोग हो जाने के कारण उसे शस्त्र रखने की बहुत आवश्यकता है।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर बाडमेर ने अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के प्रार्थना पत्र पर स्पीकिंग आदेश बाबत पारित किये गये निर्देशों की निरन्तर अवमानना की गई व तय समयावधि में कोई आदेश पारित नहीं किया। जिला पलिस अधीक्षक, बाडमेर के पत्र दिनांक 5.4.2018 में यह माना था कि आवेदक को निकट भविष्य में तत्कालीक एवं गंभीर जान का खतरा हो सकता है तथा सशुल्क सुरक्षा देना माना था, परन्तु अपीलान्ट अपने लिये पुलिस सुरक्षा सशुल्क प्राप्त करने में असमर्थ है, इसलिये प्रार्थी ने शस्त्र लाईसेन्स जारी करन का अनुरोध किया था। जिला कलेक्टर बाडमेर ने पुलिस अधीक्षक बाडमेर की रिपोर्ट को आधार बताते हुए उसका आवेदन निरस्त किया है जबकि पुलिस ने अपनी प्रेषित रिपोर्ट में अपीलान्ट को तत्कालीक व गंभीर जान का खतरा दर्शाया था।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर महोदय को यह भी अवगत कराया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को रोकने हेतु पुखता कार्यवाही की जावे, परन्तु अपीलान्ट के मामले में ऐसा नहीं किया गया। जिला कलेक्टर बाडमेर ने अपने आदेश में अपीलान्ट पर यह आक्षेप लगाया कि अपीलान्ट आरटीआई कार्यकर्ता होने के कारण विभिन्न अधिकारियों व लोगों के खिलाफ अनावश्यक शिकायते करता है जिससे अन्य व्यक्ति प्रार्थी से रंजिश रखते है, ऐसे में प्रार्थी इर्ष्यावश आयुध का अनावश्यक दुरूपयोग कर सकता है एवं सुरक्षा के लिये खतरा बने रहने की संभावना है। आवेदक एक शातीर व चालाक प्रवृति का व्यक्ति है जिसका आचरण भी विचारणीय है, इसलिये शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध कभी कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ और न ही कभी शांती भंग की गई, प्रार्थी का आचरण पूर्ण रूप से सही है परन्तु जिला कलेक्टर बाडमेर ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उक्त अपीलाधीन आदेश अवैधानिक रूप से पारित किया है जो सिरे से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट के द्वारा किये जा रहे समाजहिती, राष्ट्रहित कार्यो को मध्यनजर रखते हुए तथा आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में भ्रष्टाचार उजागर करने के कारण उसे जान का संभावित खतरा होने के कारण आत्मरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आदेश प्रदान करावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2020 को निरस्त किया जावें।

9. हमने अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता की ओर से प्रकट किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं अपील में वर्णित तथ्यों तथा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा प्रेषित की गई विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपनी अपील में वहीं तथ्य दर्शाये है जो शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु पेश आवेदन के लिये एवं जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत/अंकित किये गये थे। अपीलान्ट के द्वारा भी

10. जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.7.2020 में दर्शाये गये तथ्यों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट/अनुज्ञापन प्राधिकारी को आयुध अधिनियम की धारा 13 व 14 में अनुज्ञप्तियों का अनुदान व इन्कार किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान वर्णित है जिसके तहत आवेदक के सम्बन्ध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट तलब किये जाने एवं अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिये अच्छा कारण न होने के सम्बन्ध में उनका स्वयं का समाधान होने के उपरान्त लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत करेगा या अनुदत करने से इन्कार करेगा। इसी प्रकार आयुध अधिनियम की धारा 14 में वर्णित प्रावधानों अनुसार आवदेक किसी कारण से अयोग्य होने अथवा लोक शान्ति की सुरक्षा के लिये या लोकक्षेम के लिये आयुध अनुज्ञप्ति अनुदत करने से इन्कार करना आवश्यक समझता है।

11. अपीलान्ट के प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर से प्राप्त की गई रिपोर्ट में अपीलान्ट को आरटीआई कार्यकर्ता एवं व्हिस्ल ब्लोअर होने के नाते विभिन्न अधिकारियों व ग्राम के निवासियों के विरूद्ध अनावश्यक रूप से शिकायतें करना एवं जिसके कारण आवेदक के विरूद्ध अन्य व्यक्ति रंजिश रखते है, इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न पुलिस थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व अन्य व्यक्तियों द्वारा भी अपीलान्ट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया जिसमें बाद अन्वेषण चालान प्रस्तत होने व न्यायालय में लम्बित होना बताया, साथ ही अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करना उचित नहीं बताया ओर अपीलान्ट के ईर्ष्या व प्रतिशोध की भावना से आयुध का अनावश्यक रूप से दुरूपयोग करने व लोक शान्ती की सुरक्षा के लिये या लोकक्षेम के लिये हर समय खतरा बने रहने की संभावना जताई। इस प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए जिला कलेक्टर बाडमेर ने अपीलान्ट को नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित नही समझा है, जिससे यह न्यायालय सहमत है।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2020 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक   अक्टूबर, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼Mk0 lfer 'kek½
fMohtuy dfe'uj
tks/kiqj